



पुलिस कमिश्नरेंट लखनऊ
प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 28-07-2020

दिनांक 27/28-07-2020 को रात्रि थाना हुसैनगंज 01, विकासनगर 01 गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना गोसाईगंज:-27-07-2020 को एस0आई0 श्री फिरोज आलम सिद्दीकी थाना गोसाईगंज द्वारा अभियुक्त 01-श्रवण कुमार पुत्र छोटे लाल निवासी जगन्नाथगंज थाना गोसाईगंज लखनऊ परेहटा मोड़ ग्राम परेहटा, गोसाईगंज से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 05 लीटर कच्ची अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना गोसाईगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना गोसाईगंज:-27-07-2020 को एस0आई0 श्री फिरोज आलम सिद्दीकी द्वारा अभियुक्त 01-श्रीमती गुड्डी पत्नी स्व0 रामरतन निवासी जगन्नाथगंज मजरा परेहटा थाना गोसाईगंज लखनऊ को गौशाला जाने वाले रोड पर जगन्नाथगंज मजरा परेहटा, गोसाईगंज से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना गोसाईगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

अवैध डायजापाम पावडर के साथ गिरफ्तार।

थाना पारा:- दिनांक 27-07-2020 को एस0 आई0 श्री जितेन्द्र दुबे थाना पारा द्वारा अभियुक्त 01-मोहम्मद जावेद पुत्र शराफत उर्फ फरीद निवासी ग्राम वेशरिया थाना सण्डीला जनपद हरदोई को नहर तिराहा के पास मोहान रोड़ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 55 ग्राम अवैध नशीला पाउडर बरामद कर थाना पारा पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

मोहनलालगंज:-दिनांक 28-07-2020 को थाना मोहनलालगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री समरजीत सिंह पुत्र सहदेव सिंह निवासी ग्राम मिताखेड़ा मजरा हुलासखेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ ने थाना मोहनलालगंज लखनऊ ने थाना मोहनलालगंज पर सूचना दिया कि वादी ने अपनी पुत्री श्रीमती अन्नू सिंह का विवाह वर्ष 2016 में शिवम् सिंह पुत्र तेजभान सिंह निवासी ग्राम मऊ थाना मोहनलालगंज लखनऊ के साथ किया था, विवाह के बाद से ही वादी की पुत्री व दामाद शिवम् सिंह आपस में राजी खुशी रह रहे थे, तथा वादी की पुत्री के ससुरालपक्ष के अन्य सदस्य ससुर तेजभान सिंह, सास श्रीमती लक्ष्मी, ननद श्रीमती प्रियंका सिंह पत्नी सोनू सिंह, व जीजा सोनू सिंह व ममिया ससुर शिवबहादुर सिंह निवासीगण ग्राम मऊ विवाह में कम दहेज लाने का उलाहना देते रहे और वादी के दामाद के घर पर न रहने पर मौका पाकर विपक्षीगण वादी की पुत्री को शारीरिक व मानसिक रूप से दहेज में चार पहिया गाड़ी व 02 लाख रुपये की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। कल दिनांक 27-07-2020 को उक्त विपक्षीगणों ने मिलकर वादी की पुत्री को प्रताड़ित किया और जब आज दिनांक 28-07-2020 को वादी का दामाद अपनी ड्रियूटी पर यूपीएल फौक्ट्री पर चला गया तो उपरोक्त विपक्षीगणों ने वादी की पुत्री को मारपीट कर फांसी पर लटका दिया। इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0 410/2020 धारा 498ए/304बी भादवि व धारा 03/04 डीपी एक्ट का अभियोग बनाम 1-तेजभान सिंह (ससुर) 2-श्रीमती लक्ष्मी (सास) 3-श्रीमती प्रियंका सिंह (ननद) पत्नी सोनू सिंह, 4-सोनू सिंह (जीजा) 5-शिवबहादुर सिंह (ममिया ससुर) निवासीगण ग्राम मऊ थाना मोहनलालगंज लखनऊ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना ए0सी0पी0 मोहनलालगंज लखनऊ द्वारा की जा रही है। इस सूचना पर एस0आई0 श्री बलवीर सिंह मो0नं0 8726330889 द्वारा बताया गया कि मृतका के एक पुत्र है। मृतका का पति यूपीएल फौक्ट्री मोहनलालगंज में काम करता है।